अनुदान संख्या 42 – राजस्व विभाग
GRANT No. 42–DEPARTMENT OF REVENUE

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*2,00*	. .	*–2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*2,00*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	391,62,00		409,54,00	394,97,87	–14,56,13
पूरक	Supplementary	17,92,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					6,08,74
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			5,05,00	3,38,71	–1,66,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1,28,44

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *2.00 लाख रु. का विनियोग* मुख्य शीर्ष ''2052'' - ''सचिवालय - सामान्य सेवाएं'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (1456.13 लाख रु.) दिसंबर, 2004 तथा मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 1792.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 81 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue the section of the grant, *appropriation* of *Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2052" – "Secretariat - General Services" and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.1456.13 lakhs) constituted 81 percent of the supplementary grants of Rs.1792.00 lakhs obtained in December, 2004 and March, 2005 and 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat - General Services				
मू.	O.	4299.00			
पू.	S.	1148.00	5424.87	5283.12	–141.75
पु.	R.	–22.13			
मुख्य शीर्ष "2045" वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	Major Head "2045" Other Taxes and Duties on Commodities and Services				
मू.	O.	3700.00	3590.00	3500.46	–89.54
पु.	R.	–110.00			
मुख्य शीर्ष "2047" अन्य राजकोषीय सेवाएं	Major Head "2047" Other Fiscal Services				
मू.	O.	2996.00	2789.40	2663.47	–125.93
पु.	R.	–206.60			
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	1974.00	1829.82	1793.18	–36.64
पु.	R.	–144.18			
मुख्य शीर्ष "2875" अन्य उद्योग	Major Head "2875" Other Industries				
मू.	O.	26157.00			
पू.	S.	644.00	26679.17	26227.03	–452.14
पु.	R.	–121.83			

(I) 100.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2070" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.100.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2070".

(II) मुख्य शीर्ष ''2052'' - ''सचिवालय - राजस्व विभाग'' के अंतर्गत 4289.67 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1148.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 5437.67 लाख रु. कर दिया गया, तथपि, जो रिक्त पदों को न भरे जाने, दिहाड़ी मजदूरों की कम नियुक्ति किए जाने, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय से बिलों के प्राप्त न होने, लघु निर्माण कार्यों के संबंध में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के बिलों को अंतिम रूप न दिए जाने, अधिवक्ता के बिलों (व्यावसायिक प्रभार) को अंतिम रूप न दिए जाने आदि के कारण 162.46 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष ''2045'' - ''संग्रहण प्रभार - अन्य कर और शुल्क - अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर'' के अंतर्गत 183.74 लाख रु. की बचत (3600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2047'' - ''विदेशी मुद्रा का विनियमन - प्रवर्तन निदेशालय'' के अंतर्गत 258.34 लाख रु. की बचत (1840.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, पुरस्कार मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने, अधिवक्ताओं के बिलों को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायत/सादगी के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(**V**) मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''स्वापक नियंत्रण - केंद्रीय स्वापक ब्यूरो'' के अंतर्गत 104.64 लाख रु. की बचत (1809.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और बिलों एवं पुरस्कार मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(**VI**) मुख्य शीर्ष ''2875'' - ''अफीम और एल्केलायड उद्योग'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) ''नीमच अफीम कारखाना - अन्य व्यय'' - 163.00 लाख रु. की बचत (1315.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक राजस्व और समेकित निधि से कम आहरण किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''गाजीपुर एल्केलायड वर्क्स'' -

(क) ''प्रबंधन'' - 903.82 लाख रु. की बचत (2196.78 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोडीन

(II) Under Major Head "2052" - "Secretariat-Department of Revenue"- the original provision of Rs.4289.67 lakhs was augmented to Rs.5437.67 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1148.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.162.46 lakhs due to non-filling up of vacant posts, less appointment of daily wagers, non-receipt of bills from Directorate of Advertising and Visual Publicity, non-finalisation of bills of Central Public Works Department relating to minor works, non-finalisation of advocate's bills (professional charges) etc.

(III) Under Major Head "2045"- "Collection charges – Other Taxes and Duties – Inland Air Travel Tax" – saving of Rs.183.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3600.00 lakhs) was due to non-finalisation of claims.

(IV) Under Major Head "2047" - "Regulation of Foreign Exchange-Enforcement Directorate" - saving of Rs.258.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1840.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of rewards cases, non-finalisation of bills of advocates and economy/austerity measures.

(V) Under Major Head "2070"-"Narcotics Control-Central Bureau of Narcotics"-saving of Rs.104.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1809.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-finalisation of bills and rewards cases.

(VI) Under Major Head "2875" –"Opium and Alkaloid Industries" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Neemuch Opium Factory - Other Expenditure"– saving of Rs.163.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1315.00 lakhs) was due to more revenue and less withdrawal from Consolidated Fund.

(B) "Ghazipur Alkaloid Works" –

(a) "Management" - saving of Rs.903.82 lakhs (against the sanctioned provision of

फास्फेट के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में गिरावट आने, कोडीन फास्फेट का आयात कम मात्रा में किए जाने और रुपए के मूल्य में अमरीकी डालर की तुलना में वृद्धि होने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य व्यय'' - 180.49 लाख रु. की बचत (1649.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) समेकित निधि से निधियों की कम मांग किए जाने और अफीम प्रभार बढ़ी हुई दरों पर लगाए जाने के कारण हुई।

(गा) ''नीमच एल्केलायड वर्क्स'' -

(क) ''प्रबंधन'' - 428.30 लाख रु. की बचत (1931.05 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)कोडीन फास्फेट के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में गिरावट आने, कोडीन फास्फेट का आयात कम मात्रा में किए जाने और रुपए के मूल्य में अमरीकी डालर की तुलना में वृद्धि होने के कारण हुई ।

(ख) ''अन्य व्यय'' - 225.01 लाख रु. की बचत (1826.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संयंत्र के आधुनिकीकरण संबंधी कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए बंद किए जाने की वजह से अफीम की कम मात्रा प्रभारित किए जाने के कारण हुई।

3. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''2875'' - ''अफीम और एल्केलायड उद्योग'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) ''गाजीपुर अफीम कारखाना - अफीम की खरीद'' - 810.33 लाख रु. का अधिक व्यय (5721.60 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(II) ''नीमच अफीम कारखाना - अफीम की खरीद'' - 506.08 लाख रु. का अधिक व्यय (644.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 9921.27 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पोस्त उत्पादक किसानों द्वारा अफीम अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए जाने और किसानों को देय मूल्य में वृद्धि होने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Rs.2196.78 lakhs) was due to fall in the international price of Codeine Phosphate, lower volume of import of Codeine Phosphate and appreciation in rupees value against US $.

(b) "Other Expenditure" - saving of Rs.180.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1649.50 lakhs) was due to demand of less funds from the Consolidated Fund and charging of Opium at enhanced rates.

(C) "Neemuch Alkaloid Works" -

(a) "Management" - saving of Rs.428.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1931.05 lakhs) was due to fall in the international price of Codeine Phosphate, lower volume of import of Codeine Phosphate and appreciation in rupees value against US $.

(b) "Other Expenditure" - saving of Rs.225.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1826.00 lakhs) was due to charging of lesser quantity of Opium owing to shutting down of plant for implementation of action plans for modernisation.

3. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2875" – "Opium and Alkaloid Industries" - under the following heads:-

(I) "Ghazipur Opium Factory-Purchase of Opium"- excess of Rs.810.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5721.60 lakhs); and

(II) "Neemuch Opium Factory-Purchase of Opium" - excess of Rs.506.08 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.9921.27 lakhs including supplementary grant of Rs.644.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to higher volume of Opium tendered by poppy cultivators and enhancement in price payable to cultivators.

4. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4875" अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4875" Capital Outlay on Other Industries				
मू.	O.	405.00	373.88	336.91	–36.97
पु.	R.	–31.12			

(I) मुख्य शीर्ष "4875" - "अफीम और एल्केलायड उद्योग-गाजीपुर अफीम कारखाना - संयंत्र और मशीनरी" के अंतर्गत 114.18 लाख रु. की बचत (142.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न उपस्करों की अधिप्राप्ति, संस्थापन, स्थापना, परीक्षण और प्रवर्तन में विलम्ब होने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4875" - "Opium and Alkaloid Industries - Ghazipur Opium Factory-Plant and Machinery"- saving of Rs.114.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.142.50 lakhs) was due to delay in procurement, installation, erection, testing and commissioning of various equipments.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 98.20 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 98 प्रतिशत थी।

(II) Under one head saving of Rs.98.20 lakhs occurred constituting 98 percent of the sanctioned provision.

5. उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत 56.26 लाख रु. के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं जो स्वीकृत प्रावधान का 274 प्रतिशत थीं।

5. The above savings were partly offset by an excess of Rs.56.26 lakhs under one head constituting 274 percent of the sanctioned provision.

6. ***मूल्यह्रास आरक्षित निधि - अफीम तथा एल्केलायड फैक्टरियां:-***

ये निधियां 1970-71 में एल्केलायड फैक्टरियों की अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास लगाने की वाणिज्यिक पद्धति को प्रवर्तित करने के लिए गठित की गई थीं। वर्ष के दौरान प्रत्येक फैक्टरी की परिसम्पत्तियों के मूल्य पर परिकलित किया गया मूल्यह्रास इन निधियों में इस अनुदान में प्रतिपक्षी नामे द्वारा क्रेडिट किया जाता है। निधि के शेषों पर समय-समय पर लगाया गया ब्याज भी इन निधियों में इस अनुदान में प्रतिपक्षी नामे द्वारा क्रेडिट किया जाता है।

वर्ष 2004-05 के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधियों का लेखा निम्न प्रकार से था:-

6. ***Depreciation Reserve Fund - Opium and Alkaloid Factories:-***

These funds were constituted in 1970-71 for introducing the commercial practice of charging depreciation on fixed assets of the Alkaloid Factories. Depreciation calculated on the value of assets used in each factory during the year is credited to these funds by per contra debit to this grant. Interest on the fund balances from time to time is also credited to these funds by per contra debit to this grant.

Accounts of Depreciation Reserve Fund for 2004-2005 were as under:-

	गाजीपुर/Ghazipur		नीमच/Neemuch	
	अफीम फैक्टरी **Opium Factory**	एल्केलायड कारखाना **Alkaloid Works**	अफीम फैक्टरी **Opium Factory**	एल्केलायड कारखाना **Alkaloid Works**

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष/Opening Balance	3,32,62	1,99,62	2,06,93	7,59,69
प्राप्तियां/Receipts	..	30,00	13,00	50,00
जमा किया गया ब्याज/Interest Credited	37,70	61,81	11,15	37,50
अदायगियां/Payments	. .	. .	. .	. .
अंतशेष/Closing Balance	3,70,32	2,91,43	2,31,08	8,47,19